

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:-श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:- 206/2021/75 (2021/206)


1. गोपाल पुत्र हजारी (मृतक) जरिये वारिसान:-  
1/1- पारसी पत्नि गोपाल,  
1/2- शंकर पुत्र गोपाल,  
1/3- कालूराम पुत्र गोपाल,  
1/4- राजेन्द्र पुत्र गोपाल,  
समस्त जाति जाट, निवासी मुण्डौती, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
2. रामदेव पुत्र हजारी,
3. श्रीमती रामकन्या पत्नि छीतर,
4. लालाराम पुत्र छीतर (मृतक) जरिये वारिसान:-  
4/1- शिवदयाल पुत्र लालाराम,  
4/2- नन्दूदेवी पत्नि लालाराम,
5. गणेश पुत्र छीतर,
6. रामराज पुत्र छीतर,
7. सुरेश पुत्र छीतर,
8. रामचन्द्र पुत्र श्रीकिशन,
9. रामेश्वर पुत्र रामरतन,
10. प्रहलाद पुत्र रामरतन,
11. सत्यनारायण पुत्र रामरतन,
12. गणपत पुत्र मूला,
13. जगदीश पुत्र पोखर,
14. मु0 मनभर पत्नि श्रवण,
15. सोराज पुत्र श्रवण,
16. हरिराम पुत्र श्रवण,
17. रामकरण पुत्र माधू (मृतक) जरिये वारिसान:-  
17/1- सांवरलाल पुत्र रामकरण,  
17/2- जगदीश पुत्र रामकरण,  
17/3- ऐजन देवी बेवा रामकरण,
18. भैरू पुत्र माधू (मृतक) जरिये वारिसान:-  
18/1- गिरधारी पुत्र भैरू,  
18/2- रामसिंह पुत्र भैरू,  
18/3- धापू बेवा भैरू,
19. जगन्नाथ पुत्र बन्ना,
20. रिद्धकरण पुत्र बन्ना,  
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम मुण्डौती तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती नोसर देवी पत्नि रामदेव, जाति जाट, निवासी ग्राम मुण्डौती, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंटस

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान  
उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 28.12.2001 .

उपस्थित:-

1. श्री शंकरलाल चौधरी एवं श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शुभकरण चौधरी एवं श्री वी०पी०सिंह राजावत, वकील रेस्पों संख्या 1.
3. विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पों संख्या 2.

निर्णय

दिनांक:- 29.10.2024

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 28.12.2001 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने आवंटन कैम्प ग्राम बोराड़ा तहसील सरवाड़ में रेस्पों संख्या 1 को ग्राम मुण्डौती के आराजी खसरा नंबर 1 मी (1/5) रकबा 4 बीघा भूमि दिनांक 28.12.2001 को आवंटन किये जाने के आदेश पारित किये । अधी०न्याया० के इस आवंटन आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधी०न्याया० का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा०दी० पेश कर कथन किया कि अपीलांटस आवंटन आदेश की पत्रावली में पक्षकार नहीं थे । अपीलाधीन आवंटन आदेश से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित हुए हैं । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा०दी० स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2001 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।
5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० पेश कर कथन किया कि अपीलांटस अधी०न्याया० के समक्ष आवंटन आदेश की पत्रावली में पक्षकार नहीं थे जिससे अपीलाधीन आदेश की तत्समय जानकारी नहीं हो सकी थी । आवंटन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.9.2014 को हुई जब रेस्पों संख्या 1 ने उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने की ऐलानिया धमकी दी तब अपीलांटस ने जमाबंदी की नकल प्राप्त की जिस पर ज्ञात हुआ रेस्पों संख्या 1 के नाम विवादित आराजी जमाबंदी में दर्ज है । तत्पश्चात् अपीलांटस ने दिनांक 18.9.2014 को आवंटन सूची की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 14.10.2014 को आवंटन की नकल प्राप्त हुई । तत्पश्चात् दिनांक 15.10.2014 को आवंटन आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया किन्तु नकल आदेश प्राप्त नहीं हुआ । इसके उपरांत अपीलांटस ने जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।
6. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस में विद्वान वकील अपीलांटस ने कथन किया कि अधी०न्याया० द्वारा पारित आवंटन आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई है । आवंटन कमेटी के समक्ष रेस्पों संख्या 1 द्वारा नियमानुसार प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया था इसके बावजूद अधी०न्याया० ने रेस्पों को विवादित आराजी आवंटित करने में त्रुटि कारित की है । अपीलाधीन आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई ना ही मौके की जांच करवाई गई है । विवादित आराजियात पर अपीलांटस लगभग 50 वर्षों से काबिज काशत होकर काशत कर रहे हैं । रेस्पों संख्या 1 का विवादित आराजियात पर कभी भी कब्जा काशत नहीं रहा है । बरवक्त आवंटन विवादित आराजी पर रेस्पों संख्या 1 का कब्जा नहीं होकर अपीलांटस का कब्जा काशत होने से आवंटन योग्य नहीं थी । आवंटन उपरांत भी आवंटित भूमि का कब्जा रेस्पों संख्या 1 को नहीं



अधी० न्याया०  
अधी० न्याया०  
अधी० न्याया०

संभलाया गया है । आवंटन मात्र कागजों में किया गया है । अधीन्याया 0 ने संपूर्ण तथ्यों की जांच किये बिना विधिविरुद्ध तरीके से आवंटन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधीन्याया 0 द्वारा रेस्पो 0 संख्या 1 को खसरा नंबर 1 मीन (1/5) रकबा 4 बीघा का ग्राम मुण्डौती में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 28.12.2001 निरस्त किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड से रेस्पो 0 संख्या 1 का नाम हजफ किया जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो 0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस अपीलाधीन आवंटन आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं है जिससे अपीलांटस को आवंटन आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा 0 दी 0 खारिज कर अपील इसी स्तर पर निरस्त की जावे ।

8. विद्वान वकील रेस्पो 0 संख्या 1 ने प्रार्थन पत्र धारा 5 मियाद अधि 0 पर बहस में कथन किया कि अपीलांटस को ग्राम में हुए आवंटन की प्रारंभ से जानकारी थी इसके बावजूद लगभग 13 वर्ष उपरांत मियाद बाहर अपील पेश की है । प्रार्थना पत्र में विलंब के समुचित कारण अंकित नहीं किये हैं । आवंटन कैम्प द्वारा कैम्प में आवंटन किया गया है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि कैम्प में हुए आवंटन आदेश की जानकारी अपीलांटस को नहीं रही हो । प्रार्थना पत्र में विलंब के समुचित कारण अंकित नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि 0 खारिज किया जाकर अपील मियाद बिन्दू पर खारिज की जावे ।

प्रकरण में गुणावगुण पर बहस में विद्वान वकील रेस्पो 0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधीन्याया 0 द्वारा आवंटन आदेश कैम्प में आवंटन की संपूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया है । रेस्पो 0 संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को भी आवंटन किया गया है । इसलिये अपीलांटस का यह कथन कि आवंटन से पूर्व उद्घोषणा नहीं की गई है, किया गया कथन असत्य है । आवंटन आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में आवंटी का नाम दर्ज किया जा चुका है तथा रेस्पो 0 संख्या 1 आवंटित भूमि का खातेदार काश्तकार है । आवंटन के इतने वर्षों उपरांत आवंटी के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते हैं । विवादित भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त न होकर रेस्पो 0 संख्या 1 का कब्जा काश्त है । आवंटन आदेश कैम्प बोराड़ा में मजमें आम में किया गया है जिसकी जानकारी संपूर्ण ग्रामवासियों को थी । अपीलांटस ने रेस्पो 0 संख्या 1 को परेशान करने की नियत से अपील पेश की है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

10. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा 0 दी 0 एवं धारा 5 मियाद अधि 0 का निस्तारण करना उचित समझते हैं ।

11. अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा 0 दी 0 में यह अंकित किया है कि अपीलांट आवंटन आदेश की पत्रावली में पक्षकार नहीं थे और उक्त आवंटन आदेश से अपीलांट व्यथित है । अतः अपीलाधीन आवंटन आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1 मीन (1/5) रकबा 4 बीघा का आवंटन उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा आवंटन कैम्प बोराड़ा तहसील सरवाड़ में दिनांक 28.12.2001 को किया रेस्पो 0 संख्या 1 श्रीमती नोसर पत्नि रामदेव, जाति जाट, निवासी ग्राम मुण्डौती तहसील सरवाड़ को किया जाकर गैर खातेदार अंकित किया गया है । तत्पश्चात् आवंटी द्वारा आवंटन आदेशों की पालना किये जाने के आधार पर जरिये नामांतरण संख्या 173 दिनांक 18.1.2007 द्वारा आवंटी रेस्पो 0 संख्या 1 को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं । अपीलांट ने विवादित आराजी पर स्वयं का 50 वर्षों से कब्जा काश्त होने का कथन कर अपीलाधीन आवंटन आदेश को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है । जबकि आवंटी/रेस्पो 0 संख्या 1 ने आवंटित भूमि पर कब्जे काश्त के संबंध में खसरा गिरदावरियां संवत्



DR-  
 राजस्व विभाग  
 अजमेर

2059 से 2062, 2067 से 2069 की फोटो प्रतियां पेश की है। विवादित आराजी में अपीलांटस का किस प्रकार लोकस है, दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांटस आवंटन अधिकारी द्वारा पारित आवंटन आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं माने जा सकते हैं। अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त योग्य पाया जाता है।

अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त किया जाता है तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 96 जा0दी0 निरस्त होने से अपील इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



12.

(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जमकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर